पूर्वोत्तर वित्त विकास निगम लिमिटेड

नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेडफी)

नेडफी क्या है :—

9अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (नेडफी) को इसके पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी ,असम के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों,ढाँचागत सुविधाओं, पशुपालन, कृषि - बागवानी, औषधीय पौधों की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और डेरी के विकास के लिए निगमित क्या गया था।

नेडफी, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों - इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,आई सी आई सी आई लिमिटेड, इंडस्ट्रियल फायनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया , स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ,भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इसके सहायकों,यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है।

डोनर (डेवलपमेंट ऑफ नार्थ ईस्टर्न रीजन) मंत्रालय की स्थापना के बाद नेडफी इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया।

उद्‌भवः—

पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, और त्रिपुरा प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं । इन राज्यों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना-पत्थर, कोयला, अन्य खनिज एवं पूरे देश की लगभग एक तिहाई हाइड्रो पॉवर क्षमता (लगभग 84000 मेगावाट) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ।

फिर भी यह क्षेत्र देश के अन्य भागों की तुलना में औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। इसका कारण स्पष्ट है कि वृहद ढाँचागत सुविधाओं का अभाव, आधारभूत सेवाओं का पिछड़ापन, उच्च शिक्षित बेरोजगारी तथा कानून एवं व्यवस्था की बदतर स्थिति ने इस क्षेत्र के विकास को पंगु बनाकर रख दिया है।

ऐतिहासिक एवं उपरोक्त कारणों की वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र अतीत में व्यावसायिक सफलताओं से वंचित रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में नए उद्यमियों की एक पीढ़ी तेजी से उभर रही है जो सुशिक्षित एवं नवीन सूचनाओं से सज्जित है तथा जो स्वयं से कुछ करना चाहती है।

इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र की जमीनी जानकारी को प्राप्त करने की आवश्यकता वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुभव की गई ताकि स्थानीय उद्यमियों को वित्तीय सहायता एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन भी दिया जा सके। ऐसा अनुभव हुआ है कि एक विशेष वित्तीय संस्थान उपरोक्त समस्त समस्याओं का समाधान भले ही न कर सके किंतु कुछ समस्याओं के समाधान में एक अहम भूमिका अवश्य निभाएगा ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एवं उपरोक्त समस्याओं में से कुछ समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 1994 में बरठाकुर कमेटी की रिपोर्ट ने एक पूर्वोत्तर विकास बैंक की स्थापना करने की अवधारणा प्रस्तुत की थी।

एक संस्थान का जन्म :-

क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तत्कालीन वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वर्ष 1995-96 के अपने बजट भाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विकास बैंक स्थापित करने की घोषणा की।

इस घोषणा के अनुसार ही 9 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेडफी) को इसके पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी, असम के साथ स्थापित किया गया। इस निगम (कॉर्पोरेशन) का औपचारिक शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी. व्ही. नरसिम्हाराव के द्वारा 23 फरवरी 1996 को किया गया।

नेडफी क्या करता है :-

नेडफी पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख वित्तीय एवं विकास संस्थान है। नेडफी का मुख्य उद्देश्य इसके स्मार-पत्र के अनुसार इस प्रकार है –

पूर्वोत्तर भारत के औद्योगिक संस्थानों एवं ढाँचागत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, उनका विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने के लिए ऋण एवं अन्य सुविधाओं के लेन-देन का सुचारु रूप से संचालन करना है। इसके साथ ही नेडफी का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के अन्य भागों के तेज आर्थिक विकास एवं समाज के आर्थिक विकास में क्षेत्र की ग्रामीण जनता का बड़े पैमाने पर सहभाग सुनिश्चित करने के लिए कृषि, बागवानी, औषधीय पौधों की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेरी एवं पशु-पालन के विकास के लिए भी ऋण एवं अन्य सुविधाओं की लेन-देन प्रक्रिया का सुचारु रूप से संचालन करना है।

पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से नेडफी अपने उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से अपने आपको एक ऊर्जावान एवं जिम्मेदार संगठन के रूप में स्थापित करना चाहता है।

शेयर धारकों के संबंध में जानकारी :–

नेडफी की स्थापना अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, बैंक, बीमा कंपनियों और विनिवेश कंपनियों के द्वारा मिलकर की गई है। नेडफी की अधिकृत शेयर पूँजी 500 करोड़ रुपए है तथा प्रारंभिक रूप में इसे कुल 100 करोड़ रुपए की पूँजी दी गई है, जिसके अधिदाता एवं उनके द्वारा दिए गए अधिदान का विवरण इस प्रकार है –

अधिदाता संस्थान	**अधिदान राशि (करोड़ रुपए में)**
आई. डी. बी. आई.	25
एस.बी.आई.	15
एल.आई.सी.	15
एस.आई.डी.बी.आई	10
आई.एफ.सी.आई.	10
आई.सी.आई.सी.आई	10
यू.टी.आई.	10
जी.आई.सी एवं इसके सहायक	05
कुल योग	**100**

नेडफी के निवेश क्षेत्र :–

नेडफी का अधिकार-पत्र इसे निम्न के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है -

1. औद्योगिक परियोजनाएँ
2. आधारिक आवश्यक तत्त्व (इन्फ्रॉस्ट्रक्चर)
3. कृषि-बागवानी
4. औषधीय पौधों की खेती
5. रेशम के कीड़ों का पालन
6. मुर्गी पालन
7. डेरी
8. मत्स्य पालन
9. पशु पालन

नेडफी उत्पाद एवं सेवाएँ

परियोजनार्थ वित्तीय सहायता

(सावधि ऋण)

उद्देश्य-

नवीन उद्योगों एवं आधारभूत परियोजना की स्थापना और विस्तार के लिए तथा पहले से ही स्थापित औद्योगिक संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

योग्यता-

आई डी बी आई अधिनियम के सेक्शन 2 (सी) के अंतर्गत परिभाषित औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी या सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रस्तावित आधारिक आवश्यक तत्त्व ,कृषि-बागवानी, मत्स्य पालन एवं पशु पालन संबंधी परियोजनाएँ।

सहायता की प्रकृति एवं सीमा-

सहायता की प्रकृति सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। नेडफी सामान्यतः 25 लाख या इससे अधिक राशि वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। फिर भी पहाड़ी राज्यों एवं नवीन क्षेत्रों की छोटी परियोजनाओं पर भी नेडफी विचार करता है। नेडफी अपनी अर्जित एवं प्राप्त कुल पूँजी के 10% तक ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

प्रस्तावकों का अंशदान-

परियोजना लागत का 40% । तथापि यदि किसी परियोजना में एक से अधिक साझेदार प्रस्तावक हों तो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के नियमानुसार ही अंशदान की राशि प्रस्तावकों से ली जाएगी।

ब्याज दर-

पी.एल.आर.(10) + 2%

ऋण इक्विटी अनुपात

1.5 : 1

प्रतिभूति –

चल व अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार। एक साथ दूसरे वित्तीय संस्थानों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने की स्थिति में समरूप प्रभार (परी-पस्सु चार्ज)देना आवश्यक होगा । प्रतिभूति राशि पर न्यूनतम 25% अंशदान लिया जाएगा

प्रक्रिया शुल्क –

स्वीकृत ऋण राशि का 1%

आवश्यक दस्तावेज -
1. ऋण करार ।
2. आड़मान (रेहन) विलेख ।
3. प्रस्तावकों से व्यक्तिगत प्रत्याभूति ।
4. आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज ।

उपकरणार्थ वित्तीय सहायता

उद्देश्य-

किसी विशिष्ट औद्योगिक उपक्रम के लिए तथा पूर्व से स्थापित औद्योगिक उपक्रम के लिए मशीनों एवं उपकरणों को खरीदने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

योग्यता –

- ❖ कम्पनी को पिछले पाँच वर्षों से चालू स्थिति में होना चाहिए तथा कम से कम पिछले तीन वर्षों से लाभ की स्थिति में होना चाहिए ।
- ❖ बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों के साथ पिछले लेन - देन का साफ-सुथरा रिकार्ड होना चाहिए।

अपवर्जन –

योजना के अंतर्गत अधोलिखितों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी--

- ❖ सेकेण्ड हैंड उपकरणों को प्राप्त करने के लिए।
- ❖ घरेलू उपयोग के उपकरणों के लिए।
- ❖ किसी परियोजना के व्यापक विस्तार या सुधार के लिए जिसके हेतु व्यापक अनुशंसा माँगी गई हो।

सहायता की प्रकृति एवं सीमा-

न्यूनतम 25लाख और अधिकतम 10करोड़ रुपए की किसी परियोजना के लिए उपकरणों की खरीद पर नेडफी कुल 70% की सावधि ऋण सहायता उपलब्ध कराता है जिसमें सभी प्रकार के कर/ड्यूटी कर/परिवहन एवं स्थापना व्यय शामिल रहते हैं।

प्रस्तावकों का अंशदान - 30%

ब्याज दर-

पी.एल.आर.(10) + 2%

वापसी अदायगी अवधि – अधिकतम 3-6 वर्ष

प्रक्रिया शुल्क –

स्वीकृत ऋण राशि का 1%

आवश्यक दस्तावेज - 1. ऋण करार ।
2.आड़मान (रेहन) विलेख ।
3.माँग वचन-पत्र।
4.आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज ।

नार्थ ईस्टर्न इन्टरप्रिन्योर्स डेवलपमेंट स्कीम (नीड्स)
प्रभावी ब्याज दर 8.76%

उद्देश्य-

नार्थ ईस्टर्न इन्टरप्रिन्योर्स डेवलपमेंट स्कीम (नीड्स) की रचना प्रथम पीढ़ी के उन उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई है जिनके पास इक्विटी पूँजी का अभाव होता है तथा जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों की शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। इसके तहत कृषि एवं बागवानी तथा स्थानीय कच्चे माल को लेकर चलाई जा रही परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

योग्यता-

नई पीढ़ी के वे उद्यमी जिनके पास उद्योग संचालन का तकनीकि ज्ञान हो या उद्योग संचालन का उनका यह प्रथम अनुभव हो तथा जो छोटे एवं लघु उद्योग के क्षेत्रों में कोई नई परियोजना लगाना चाहते हों।

सहायता की प्रकृति एवं सीमा-

कुल परियोजना लागत के 25% तक की राशि सॉफ्ट लोन सहायता के रूप में उपलब्ध है। कुछ चुनिंदा मामलों में एक पूरे चक्र की लागत पूँजी के साथ-साथ इस योजना के तहत अतिरिक्त धन राशि या अन्य आवश्यक उपकरण भी सहायता के रूप में दिए जा सकते हैं जिससे प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को एक संपूर्ण समाधान प्राप्त हो सके।

परियोजना लागत-

अधिकतम 25लाख रुपए

प्रस्तावकों का अंशदान-

न्यूनतम 15 प्रतिशत

ब्याज दर-

सॉफ्ट लोन की राशि पर 1% प्रतिवर्ष की दर से सेवा शुल्क। सावधि ऋण राशि पर प्रभावी ब्याज दर 8.76% लागू होगी।

वापसी अदायगी अवधि – अधिकतम 7 वर्ष (तीन वर्ष तक ऋण-स्थगन सहित)

प्रतिभूति –

प्रतिष्ठान /कंपनी की संपत्ति पर बैंक/ राज्य औद्योगिक विकास निगम/ राज्य वित्तीय निगम की तरह ही समरूप प्रभार (परी-पस्सु चार्ज), यदि आवश्यक हो तो जमानती प्रत्याभूति लेकिन जो सुपात्र हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं तथा प्रस्तावकों से व्यक्तिगत प्रत्याभूति।

लागत पूँजी सावधि ऋण

उद्देश्य-

ऐसी इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जो बैंकों से लागत पूँजी की सहायता न मिलने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही हैं किंतु जिनमें एक बार लागत पूँजी नए सिरे से लगाने पर उन्हें फिर से सामान्य स्थिति में लाया जा सकता हो।

योग्यता-

केवल वे इकाइयाँ जिन्हें नेडफी के द्वारा परियोजनार्थ वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई गई हो।

सहायता की प्रकृति एवं सीमाएँ-

परियोजना के एक चक्र के संचालन के लिए आवश्यक लागत पूँजी का अधिकतम 75% सावधि ऋण के रूप में दिया जाता है।

प्रस्तावकों का अंशदान-

न्यूनतम 25 प्रतिशत

वापसी अदायगी - वापसी अदायगी की अधिकतम अवधि 18 महीने है किंतु अपवादात्मक परिस्थितियों में किसी प्रकरण विशेष के लिए वापसी अदायगी की अवधि और 18 महीने तक के लिए बढ़ाई जा सकती है किंतु इससे अधिक नहीं।

ब्याज दर-

पी.एल.आर.(10) + 2%

प्रक्रिया शुल्क –

स्वीकृत ऋण राशि का 1%

प्रतिभूति –

1चल व अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार।
2एक साथ दूसरे वित्तीय संस्थानों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने की स्थिति में समरूप प्रभार (परी-पस्सु चार्ज)देना आवश्यक होगा ।
3प्रस्तावकों से व्यक्तिगत प्रत्याभूति।
4सहवर्ती प्रतिभूति, परियोजना के आकार के अनुसार होगी।

माइक्रो फायनेंस स्कीम

उद्देश्य-

नेडफी ने जमीनी स्तर के उन जरुरतमंद ऋण इच्छुकों को एक समुचित वित्तीय समाधान देने का प्रयास किया है जो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तथा जो सामान्य ऋण आहरण की कठिनाइयों से परिचित नहीं होते और स्थानीय ऋण दाताओं से ऋण लेने को बाध्य होते हैं।

इस योजना का लक्ष्य आम लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए किसानों,स्वयं का व्यवसाय करने वालों एवं उद्यमियों को उत्पादन एवं कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए समुचित सहायता प्रदान करना है। इसके तहत गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं/स्थानीय निकायों को जरूरतमंद लोगों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह सहायता दी जाती है जिससे जरूरतमंद लोग उत्पादन गतिविधियाँ और स्वरोजगार शुरू कर सकें जो इनके लिए आय का स्रोत बने तथा जिससे वे अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।

योग्यता-

(1) वे सुव्यवस्थित पंजीकृत गैरसरकारी संगठन /स्वयंसेवीसंस्थाएँ/स्थानीय संस्थाएँ-

- -जो कम से कम पिछले तीन वर्षों से संचालित रहे हों।
- -जो स्वयं सहायता समूहों को विकसित करने में अनुभवी हों।
- - जिनका पिछला प्रदर्शन शानदार रहा हो।
- - जिनके यहाँ दस्तावेजों को रखने की उपयुक्त पद्धति हो।
- - जिनके पास उपयुक्त वित्तीय प्रबंधन पद्धति हो।

(2) सुव्यवस्थित स्वयं सहायता समूह/स्थानीय निकाय जो आय बढ़ाने की गतिविधियों में संलग्न रहे हों।

सहायता की प्रकृति एवं सीमाएँ –

इसके तहत अधिकतम 4लाख रुपए तक की राशि सावधि ऋण के रूप में प्रत्येक परियोजना / लाभान्वित व्यक्ति / प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को दी जाती है। फिर भी गैर सरकारी संगठन, एक से अधिक परियोजनाओं / लाभान्वित व्यक्तियों / स्वयं सहायता समूहों को ऋण के रूप में सहयोग देने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ब्याज दर-

नेडफी के द्वारा गैरसरकारी संगठनों के लिए- पी.एल.आर.(10) + 0.5%

आवश्यक दस्तावेज - 1. ऋण करार ।
2.आड़मान (रेहन) विलेख ।
3.माँग वचन-पत्र।
4.आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज ।

प्रतिभूति –

1. गैरसरकारी संगठन से वचन-पत्र ।
2. गैरसरकारी संगठन की चल संपत्ति को रेहन रखना ।

स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्रॉफ्ट्स (स्नेह)

प्रभावी ब्याज दर 7.35%

योग्यता शर्तें –

- यह योजना हथकरघा एवं हस्तशिल्प के उत्पादों के उत्पादकों/ निर्माताओं और निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- प्रस्तावित इकाइयाँ स्वामित्व वाली/ साझेदारी वाली या कोई कंपनी हो सकती है।
- प्रस्तावक या उनकी इकाइयों को किसी भी सरकारी योजना / या बैंक / गैरसरकारी संगठनों का बाकीदार नहीं होनी चाहिए। उनके लेन-देन का साफ-सुथरा रिकार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

वित्तीय सहायता की प्रकृति एवं सीमाएं-

1. परियोजना अधिकतम 25 लाख रुपए तक की हो सकती है।
2. नेडफी कुल परियोजना लागत की 25% राशि हिस्सेदारी के रूप में उपलब्ध कराएगी।
3. प्रस्तावकों का कम से कम अंशदान कुल परियोजना लागत का 15% होगा। शेष परियोजना लागत राशि नेडफी के संयुक्त ऋण (सावधि ऋण और लागत पूँजी योजना) के अंतर्गत दी जाती है।

ब्याज दर –

- साझेदारी वाली राशि (इक्विटी) पर 1.0% सेवा शुल्क।
- शेष कम्पोजिट लोन (संमिश्र ऋण)के लिए ब्याज दर पी.एल. आर. पर निर्धारित होगी।

प्रतिभूति –

- इकाई की संपत्ति को गहन/ गिरवी रखना ।
- प्रस्तावकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति तथा एक या दो सम्माननीय व्यक्तियों की प्रत्याभूति जो ऋण की अदायगी में सक्षम हों।
- सहवर्ती प्रतिभूति, परियोजना के आकार के अनुसार होगी।

जूट इन्टरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम (जेड्स)
प्रभावी ब्याज दर 7.35%

उद्देश्य –

इस योजना का उद्देश्य जूट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नई / पूर्व से स्थापित इकाइयों को वित्तीय सहायता ऋण के रूप में उपलब्ध कराना।

लक्ष्य समूह-

- वे छोटे उद्योग जिनमें कुल निवेश (सावधि ऋण और लागत पूँजी) 10 लाख रुपए से अधिक न हो ।
- गैर सरकारी संगठन/ सहकारी समितियाँ

गतिविधियाँ –

जूट आधारित हस्तशिल्प, हथकरघा और जूट से बनी वस्तुएँ (जूट बैग, जूट चाय बैग, खरीददारी करने के लिए बैग, महिलाओं के लिए हाथ वाले बैग आदि)

परियोजना लागत –

अधिकतम 10 लाख रुपए ।

प्रस्तावकों का अंशदान-

न्यूनतम 15%

इक्विटी सहायता –

परियोजना लागत की 25% तक की राशि ।

ब्याज दर –

- साझेदारी वाली राशि पर 1.0% सेवा शुल्क।
- शेष कम्पोजिट लोन (संमिश्र ऋण)के लिए ब्याज दर पी.एल. आर. पर निर्धारित होगी।

प्रतिभूति –

- इकाई की संपत्ति को गहन/ गिरवी रखना ।
- प्रस्तावकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति तथा एक या दो सम्माननीय व्यक्तियों की प्रत्याभूति जो ऋण की अदायगी में सक्षम हों।
- सहवर्ती प्रतिभूति, परियोजना के आकार के अनुसार होगी।

वूमेन इन्टर प्राइजेज डेवलपमेंट स्कीम (वेड्स)

प्रभावी ब्याज दर - 7.35 %

उद्देश्य –

महिला उद्यमियों को व्यवसायिक उपक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। पूर्व से स्थापित व्यवसायिक उपक्रम भी इस योजना के अंतर्गत उपक्रम के विस्तार, आधुनिकीकरण और सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

लक्ष्य समूह –

18 वर्ष से 50 वर्ष तक की कुशल महिला उद्यमी ।

योग्यता –

छोटे व्यापार सहित आमदनी देने वाली कोई भी सक्षम गतिविधि ।

सहायता की प्रकृति –

सॉफ्ट लोन और सावधि ऋण

सहायता की सीमा –

सॉफ्ट लोन 25%, सावधि ऋण 60%, परियोजना लागत (लागत पूँजी सहित) 5लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए ।

प्रस्तावकों का अंशदान – न्यूनतम 15%

प्रतिभूति –

नेडफी द्वारा जिस संपत्ति के लिए वित्तीय सहायता ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है उस पर प्रथम प्रभार। योग्य इकाइयाँ सी.जी.एफ.टी.एस.आई.(क्रेडिट ग्यारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्माल इंडस्ट्रीज) के अंतर्गत व्यवहत होंगी।

ब्याज दर –

सॉफ्ट लोन : 1% सावधि ऋण की दर से सेवा शुल्क :पी.एल.आर.

वापसी अदायगी - 3 से 7 वर्ष

टेक्नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट (स्टडी) फंड

भारत सरकार के गृह मामलों के मंत्रालय (पूर्वोत्तर संभाग) ने वर्ष 1998 - 99 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त ढाँचागत निर्माण एवं उद्योगों के तकनीकि व आर्थिक अध्ययन को अपने अंतर्गत संचालित करने के लिए एक मुश्त 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जारी पिछड़ेपन को देखते हुए भारत सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक नवीन एवं विशेष प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता अनुभव की। तदनुसार ही उद्योग मंत्रालय एवं योजना आयोग ने विशेषज्ञों के दल का गठन किया जिन्होंने कई परिचर्चाओं एवं अंतर्विभागीय बैठकों का आयोजन कर कई अनुशंसाएँ दीं। जिसके फलस्वरूप ही 20 नवंबर 1997 को भारत सरकार ने एक नवीन औद्योगिक नीति को स्वीकृति दी।

अधिकतम 21 सदस्यों वाले एक सलाहकार बोर्ड के दिशा-निर्देशन में संपूर्ण फंड निर्धारित होता है। हर दिन के काम-काज को संचालित करने के लिए सलाहकार परिषद में से पाँच सदस्यों को लेकर एक कार्यकारी समिति गठित की गई है।

पूर्वोत्तर के सात राज्यों में खनिज भंडार स्रोतों के मानचित्र का निर्माण,जल विद्युत उत्पादन, वनोत्पाद, वन संवर्धन संभावनाएँ, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, कृषि फसल पद्धति, पशुपालन एवं मुर्गीपालन, पर्यटन,सॉफ्टवेयर विकास, दूरसंचार, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योग, आधारभूत विपणन क्षेत्र तथा इनके अतिरिक्त और भी कोई अन्य क्षेत्र जो सलाहकार परिषद द्वारा निश्चित किया गया हो,
इसके अंतर्गत होने वाले अध्ययन क्षेत्रों में शामिल होंगे।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें -

नेडफी पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे उद्योग, ढाँचागत निर्माण, कृषि-बागवानी, मत्स्य पालन और पशु पालन आदि परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नेडफी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रस्तावित परियोजना को निम्न मानदंड पूरे करने होंगे -

1. परियोजना पूर्वोत्तर भारत में स्थित होनी चाहिए ।
2. इसे वित्तीय एवं आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
3. इसे तकनीकि रूप से भी बहुत सक्षम होना चाहिए।
4. इसे स्थानीय अर्थ-व्यवस्था के लिए लाभकारी होना चाहिए।
5. इसे वातावरण एवं सामाजिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए।

कोई कंपनी या उद्यमी जो नया उपक्रम स्थापित करना चाहते हैं या किसी स्थापित औद्योगिक संस्थान का विस्तार करना चाहते हैं वे अपने आरंभिक परियोजना प्रस्ताव को नेडफी में प्रस्तुत कर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आरंभिक संपर्क एवं प्राथमिक पुनरीक्षण के बाद नेडफी आपसे आपकी वित्तीय परियोजना के संबंध में एक विस्तृत आर्थिक-तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट या बिजनेस प्लान की माँग कर सकता है, जिसके आधार पर ही वह आपकी योजना को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा।

संबंधित राज्यों में परियोजना जहाँ पर स्थित है उसके निकटतम नेडफी शाखा कार्यालय में अथवा नेडफी कार्यालय गुवाहाटी में परियोजना प्रस्ताव जमा किए जा सकते हैं।

नेडफी विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएँ अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराता है तथा प्रत्येक परियोजना की जरूरत के हिसाब से वित्तीय सहायता एवं सलाह भी सम्मलित रूप से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कर सकता है।

नेडफी अन्य निजी क्षेत्रों के निवेशकों एवं वाणिज्यिक ऋण-दाताओं की तरह- :

1. वाणिज्यिक रूप से सक्षम परियोजनाओं में निवेश करता है।
2. लाभ अर्जित करने की इच्छा करता है।
3. बाजार के अनुसार ही अपनी ब्याज दरों को निश्चित करता है।

संपर्क - केंद्र

पंजीकृत कार्यालय
नेडफी
बसुन्धरा एन्क्लेव
बी.के. काकाटी मार्ग,उलूबारी
गुवाहाटी - 781007, असम
दूरभाष - (91) (361) 2529202-6,
2461007, 2453006
फैक्स - (91) (361) 2529178

नई दिल्ली प्रतिनिधि कार्यालय श्री मनोज कुमार दास नेडफी प्रतिनिधि कार्यालय सी-172, भू-तल सर्वोदय एनक्लेव नई दिल्ली-110017 टेलीफैक्स - 01126533824 मोबाइल - 9312650558	**इम्फाल शाखा** शाखा प्रबंधक नेडफी, बाबूपारा दूरभाष भवन के सामने इम्फाल - 795001 टेलीफैक्स - 03852445927
शिलांग शाखा शाखा प्रबंधक नेडफी, 'क्रेसेन्स' बिल्डिंग , प्रथम तल मुख्य सचिवालय के सामने शिलांग - 793001 टेलीफैक्स - 03642504814	**तिनसुकिया प्रतिनिधि कार्यालय** श्री सिद्धांत शंकर गोस्वामी नेडफी प्रतिनिधि कार्यालय असम उत्पादकता परिषद, माकुम रोड, उद्योग नगर, तिनसुकिया - 786125 दूरभाष नं. 0374-2352405
गंगटोक शाखा शाखा प्रबंधक नेडफी सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स के पास विकास क्षेत्र, गंगटोक - 737101 टेलीफैक्स - 03592-228269	**दीमापुर शाखा** शाखा प्रबंधक नेडफी, कुकनालिम बिल्डिंग, द्वितीय तल सर्कुलर रोड, दीमापुर - 797112 टेलीफैक्स - 03862-235030

अगरतला शाखा शाखा प्रबंधक नेडफी, महल परिसर लक्ष्मी नारायण बारी एंड बी. के. रोड कॉर्नर, महिला महाविद्यालय के सामने अगरतला - 799001 टेलीफैक्स - 0381-2216848	**मिजोरम शाखा** शाखा प्रबंधक नेडफी, ए - 59, जरकॉट आईजॉल - 796001 टेलीफैक्स - 0389-2347782/ 83
ईटानगर शाखा शाखा प्रबंधक , नेडफी, राष्ट्रीय राजमार्ग - 52 ए, मुख्य मार्ग, ई - सेक्टर, ईटानगर - 791111 टेलीफैक्स - 0360 -2217694	**कोहिमा प्रतिनिधि कार्यालय** मेज़ी सोढ़ी नेडफी प्रतिनिधि कार्यालय न्यू एन.एस. टी. बिल्डिंग, द्वितीय तल कोहिमा – 797001 टेलीफैक्स - 0371-2291378
सिलचर कार्यालय (सूचना केंद्र) नेडफी श्री सजल कुमार देब, देशबन्धु क्लब, एन.एच. एवेन्यु, बी.टी. महाविद्यालय के पास सिलचर-5,असम दूरभाष- (03842) 283503,213186	**शिवसागर कार्यालय (सूचना केंद्र)** नेडफी एम एम एस कंसल्टेन्सी एसोसिएशन प्रा. लिमिटेड के. पी. एम. हॉल के पास, ए.टी.रोड शिवसागर-785640 दूरभाष - 03772- 224688,222451,9435057549

नोट - विस्तृत जानकारी आप हमारी वेबसाइट www.nedfi.com या नेडफी पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।